उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

संख्या 1125/यू.पी.रेरा/ कार्यालय–ज्ञाप (टी.ए..)/2018–19 दिनांकः 15 जून, 2018

कार्यालय–आदेश

उ. प्र. भू–सम्पदा (विनियामक एवं विकास) प्राधिकरण के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः 799/यू.पी. रेरा/कार्यालय–ज्ञाप (टी.ए..)/2018–19 दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा भू–सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4 (2)(l) (d) में की गई व्यवस्था के अनुसार संप्रवर्तक द्वारा धनराशि आहरण करने हेतु इन्जीनियर, वास्तुविद तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्रों के प्रारूप निर्धारित करते हुए रेरा की वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं।

2. उपरोक्तानुसार अपलोड किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जीनियर एवं आर्कीटेक्ट के प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों में सुधार/संशोधन करने का अनुरोध रेरा को प्राप्त हुए है, जिन पर सम्यक् विचारोपरान्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं इन्जीनियर के प्रमाण–पत्रों के प्रारूपो में आवश्यक संशोधन करते हुए इन्हें पुनः निर्धारित किया गया है। निर्धारित संशोधित प्रारूप रेरा की वेबसाइट www.up-rera.in पर उपलब्ध है।

3. अतः भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित परियोजना के लिए निर्धारित खातों से धनराशि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जीनियर एवं वास्तुविद द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् ही सम्पन्न किये गये कार्यो की प्रतिशतता के अनुरूप धनराशि आहरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार संप्रवर्तक के लिए पृथक–पृथक परियोजना के लिए अलग–अलग बैंक खाते खोलना अनिवार्य है।

संलग्नकः संशोधित सी.ए. एवं इन्जीनियर के प्रमाण–पत्रों के प्रारूप।

(अबरार अहमद)
सचिव, रेरा,

<u>संख्या एवं दिनॉकः तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, अवस्थापना, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, संस्थागत वित्त को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कार्यालय–ज्ञाप के अनुपालन हेतु प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों को अपने स्तर से निर्देश प्रसारित कराने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्स–प्रेस–वे।
7. प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. इस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. अध्यक्ष एवं महामंत्री, क्रेडाई, उत्तर प्रदेश।
11. सहायक निदेशक (सिस्टम) रेरा को रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अबरार अहमद) 15/6/18
सचिव, रेरा